अपील सूचना अधिकार संख्या 66/2019 (RCMS 2019/00178) श्री गोविन्दनारायण पुत्र विश्वनाथ किराडू, कोठारी अस्पताल के सामने की गली, हरीओम मेडिकल स्टोर के पीछे, बीकानेर <u>बनाम</u> उपखण्ड अधिकारी, घडसाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>16.03.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोविन्द नारायण किराडू उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी **श्री गोविन्द नारायण ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2019 से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 04 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है एवं 250/- प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गोविन्द नारायण ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घड़सानां के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2018 का तहसीलदार, राजस्व रावला को लिखते हुए उसकी प्रति आपको दी गई थी। सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति प्रेषित है। आप के कार्यालय से प्राप्त हुई दिनांक की छाया प्रति उपलब्ध करवावें तथा उस पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की नोटशीट व संबंधितों को लिखे गये पत्रों की छाया प्रतियां उपलब्ध करवावें।
2. तहसीलदार राजस्व रावला द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा शाख जिला कलक्टर को लिखते हुए उसकी प्रति

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आपको दी गई थी, सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति प्रेषित है। आपके कार्यालय में प्राप्त हुई दिनांक की छाया प्रति उपलब्ध करवावें तथा उस पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की नोटशीट व संबंधितों को लिखे गये पत्रों की छाया प्रतियां उपलब्ध करवायें।

3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2019 की छाया प्रति प्रेषित है। आप के कार्यालय में प्राप्त हुई दिनांक की छाया प्रति उपलब्ध करवावे तथा उस पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की नोटशीट व सम्बन्धितों को लिखे गये पत्रों की छाया प्रतियां उपलब्ध करवावें।
4. श्री चन्द्र मोहन द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम के तहत पंजीकृत डाक से आपको प्रार्थना पत्र दिया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति प्रेषित है। आपके कार्यालय में प्राप्त हुई दिनांक की छाया प्रति उपलब्ध करवावें तथा उस पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की नोटशीट व संबंधितों को लिखे गये पत्रों की छाया प्रतियां उपलब्ध करवायें।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि इस न्यायालय के पत्रांक सीजी/वाचक/19/940 दिनांक 26.08.2019, 1289/21.10.2019, 1497/04.12.2019, 10/06.01.2020, 271/11.02.2020 एवं 439 दिनांक 02.03.2020 से उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में 10 दिवस में निमयानुसार निर्णय किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर